कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2646 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 12/06/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no.-FP/UK/ROAD/14272/2015)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांकः–1003/FP/UK/ROAD/14272/2015, दिनांकः–14–10–2019।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उठाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

आपत्तिः– **"यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नही किया गया है।"** के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र/टिप्पणी उपलब्ध नही कराई गई हैं। अतः उपलिखित आपत्ति के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र मय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की संस्तुति सहित पार्ट–। में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निराकरण/आख्याः–उपरोक्त आपत्ति के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना निर्माण के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में कोई परिवर्तन नही किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र जारी करते हुए भाग–1 में अपलोड कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है जो संस्तुति सहित पत्र के साथ संलग्न कर मूल प्रति सहित तीन प्रति में प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन वर्ष 2011 में किया गया। तत्समय संयुक्त निरीक्षण के दौरान मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण में चीड प्रजाति के विभिन्न व्यासवर्ग के 219 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया जिसके आधार पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया था। किन्तु वर्ष 2011 से वर्तमान वर्ष तक लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने से उक्त चीड वृक्ष प्रजाति बाहुल्य वन क्षेत्र में चीड के और भी कुछ अन्य पौधे उगे हैं जिन्होने अब वृक्ष का रूप धारण कर लिया है जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या में बढोत्तरी हुई है तथा वृक्षों के व्यासवर्ग में भी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में प्रभावित वृक्षों की संख्या–448 चीड वृक्ष हो गई है। वृक्षों की संख्या में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा Note For Justification इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है तथा वृक्षों की संख्या सूची से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों को संशोधित कर भाग–1 व भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है व प्रमाण–पत्र/अभिलेखो की मूल प्रति सहित तीन प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। वृक्षों की संख्या में हुई वृद्धि के फलस्वरूप हरियाली के घनत्व में बढोत्तरी हुई है जिस कारण हरियाली के घनत्व के प्रमाण–पत्र प्रारूप–50 को भी पुनः संशोधित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भाग–1 व भाग–2 में अपलोड करते हुए मूल प्रति सहित तीन प्रति प्रेषित की जा रही है। वृक्षों की संख्या एवं हरियाली के घनत्व से सम्बन्धित सूचनायें भाग–2 में निर्धारित कॉलम पर अंकित कर दी गई है। प्रस्ताव पर उठाई गई अन्य आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण एवं अन्य सूचनायें अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी